

1862
2014

Mansoor Siddiqui

Designation.....
Stock Holding Corporation of India Ltd.
15/63, Krishna Tower, Ground Floor
Civil Lines, Kanpur-208001



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00308976908444M
Certificate Issued Date : 29-Mar-2014 01:14 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ KANPUR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100361381030899M
Purchased by : J S INFRA REALITY P LTD THRU DIR MOHD JAWED SOLEJA
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : HOUSE N.97, FIELD NO 1130M, 1131M, 1134M, 1136M, 1137M, 1/3
AREA-3300 SQ.MTR, CHANDRA NAGAR, CHANDARI, KANPUR
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : RAJAN JAISWAL SON OF LATE GOVIND RAM SHAW
Second Party : J S INFRA REALITY P LTD THRU DIR MOHD JAWED SOLEJA
Stamp Duty Paid By : J S INFRA REALITY P LTD THRU DIR MOHD JAWED SOLEJA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 37,10,000
(Thirty Seven Lakh Ten Thousand only)

33/20



.....Please write or type below this line.....



Rajan Jaiswal.



Mansoor Siddiqui

YL 0000011300

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

कार्यालय का नाम : उपनिबन्धक जोन 1, कानपुर नगर ।

- 1- निष्पादित दिनांक : 29-03-2014
- 2- प्रस्तुत दिनांक : 29-03-2014
- 3- लेखपत्र का प्रकार : बिल्डर एग्रीमेन्ट
- 4- प्रयोजन : आवासीय
- 5- सम्पत्ति का प्रकार : भूखण्ड
- 6- सम्पत्ति का विवरण : भवन संख्या 97, चन्द्र नगर, कानपुर नगर स्थित आराजी फील्ड नम्बरी 1130मि०, 1131मि०, 1134मि०, 1136मि०, 1137मि० कुल क्षेत्रफल 9900 वर्गमीटर का 1/3 क्षेत्रफल भाग अर्थात् क्षेत्रफल 3300 वर्गमीटर।
- 7- रोड की स्थिति : 150 फिट (45.74 मीटर) सड़क
- 8- बाजारी मूल्य : रुपया 5,30,00,000 / -
- 9- पार्क व डबल रोड : पार्क व डबल रोड नहीं है।
- 10- सीमायें सम्पूर्ण भवन संख्या 97
- पूरब : सम्पत्ति अन्य व्यक्ति व आराजी नं० 1130मि०
- पश्चिम : सम्पत्ति अन्य व्यक्ति
- उत्तर : सम्पत्ति अन्य व्यक्ति
- दक्षिण : 150 फिट (45.72 मीटर) सड़क

Rajen Sainwal.



Amal



- 11- भूस्वामी/प्रथम पक्ष का नाम व पता : राजन जायसवाल बालिग पुत्र स्व० गोविन्द राम शॉ निवासी भवन संख्या 97, चन्द्र नगर, चन्दारी, कानपुर नगर।
- 12- बिल्डर/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : जे०एस० इन्फ्रारियलिटी प्रा०लि० स्थित 16/80-1, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर द्वारा डायरेक्टर मोहम्मद जावेद सोलेजा पुत्र स्व० जहीरुल हक सोलेजा निवासी 16/77-सी, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।

13- स्टाम्प अदायगी का विवरण

- 1- जिलाधिकारी दर भूखण्ड : रुपया 16,000/-प्रति वर्गमीटर
- 2- भूमि का मूल्य : रुपया 5,28,00,000/-
- 3- बाउण्ड्रीवाल का मूल्य : रुपया 2,00,000/-
- 4- भूमि व बाउण्ड्रीवाल का कुल मूल्य : रुपया 5,30,00,000/-
- 5- 7 प्रतिशत देय स्टाम्प : रुपया 37,10,000/-
- 6- कुल दिया गया स्टाम्प : रुपया 37,10,000/-

Rajan Jaiswal.



Amal



बिल्डर एग्रीमेन्ट

हमकि राजन जायसवाल बालिग पुत्र स्व० गोविन्द राम शॉ निवासी
भवन संख्या 97, चन्द्र नगर, चन्दारी, कानपुर नगर।

भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष

व

जे०एस० इन्फ्रारियलिटी प्रा०लि० स्थित 16 / 80 - 1, सिविल लाइन्स,
कानपुर नगर द्वारा डायरेक्टर मोहम्मद जावेद सोलेजा पुत्र स्व० जहीरुल हक
सोलेजा निवासी 16 / 77 - सी, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर जिनको कम्पनी
के बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग में दिनांक 27 - 03 - 2014 को रिज्योलूशन
पारित करके कम्पनी की तरफ से समस्त कार्य अर्थात् बिल्डिंग निर्माण
करने व क्रय - विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया है।

बिल्डर / द्वितीय पक्ष, के हैं।

विदित हो कि प्रथम पक्ष प्रिमिसेज नं० 97, चन्द्र नगर, कानपुर
नगर स्थित आराजी फील्ड नम्बरी 1130मि०, 1131मि०, 1134मि०, 1136मि०,
1137मि० क्षेत्रफल 9900 वर्गमीटर का 1/3 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 3300

Rajan Jaiswal.



मि०



वर्गमीटर का स्वामी, काबिज व दरवील हैं । सर्वप्रथम आराजी फील्ड नम्बर 1131मि० क्षेत्रफल 1 बीघा 1 बिस्वा 1 बिस्वांसी, 1130मि० क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिस्वा 12 बिस्वांसी व 1134मि क्षेत्रफल 1 बीघा 4 बिस्वांसी - 3 किता आराजी कुल क्षेत्रफल 3 बीघा 14 बिस्वा 17 बिस्वांसी स्थित चन्दारी, कानपुर नगर को श्री गोविन्द राम शॉ पुत्र श्री ईश्वर राम शॉ ने द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17-01-1966 ईस्वी को उसके पूर्व स्वामी बद्री प्रसाद व केदारनाथ पुत्रगण श्री बुद्धूराम से क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1, जिल्द 2419 के पृष्ठ संख्या 14 से 22 में नम्बर 1966 दिनांक 28-04-1966 कार्यालय सब रजिस्ट्रार, कानपुर पंजीकृत हुई ।

यह भी विदित हो कि श्री गोविन्द राम शॉ ने आराजी फील्ड नम्बर 1130मि० क्षेत्रफल 1 बिस्वा 8 बिस्वां, 1136मि० क्षेत्रफल 2 बिस्वा 16 बिस्वांसी व 1137मि क्षेत्रफल 1 बीघा व 1134मि० क्षेत्रफल 19 बिस्वा 16 बिस्वांसी 4 किता आराजी कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 4 बिस्वा का आधा भाग

Rajendra Singh



Amole



अर्थात् 1 बीघा 2 बिस्वा जानिब पूरब स्थित चन्दारी, कानपुर नगर को द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17-01-1966 ईस्वी को उसके पूर्व स्वामी बद्री प्रसाद पुत्र श्री बुद्धूराम व हरि नारायन पुत्र श्री केदारनाथ से क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 2805 के पृष्ठ 140 से 145 में नम्बर 1962 दिनांक 17-04-1966 कार्यालय सब रजिस्ट्रार, कानपुर पंजीकृत हुई ।

यह भी विदित हो कि श्री गोविन्द राम शॉ दो पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा सम्पत्ति उपरोक्त 4 बीघा 16 बिस्वा 17 बिस्वांसी स्थित चन्दारी, कानपुर के संक्रमणीय भूमिधर स्वामी, काबिज व दरवील हुए।

यह भी विदित हो कि श्री गोविन्द राम शॉ ने सम्पत्ति उपरोक्त का 1/3 भाग अपने सगे भाई श्री राम नारायन शॉ पुत्र श्री ईश्वरी राम शॉ व 1/3 भाग को दूसरे सगे भाई श्री गोपी राम शॉ पुत्र श्री ईश्वरी राम शॉ को द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21-06-1969 को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1, जिल्द 2661 के पृष्ठ 172 से 177

Rajaw Jindwal.



Emile



में नम्बर 5587 दिनांक 01-08-1969 कार्यालय सब रजिस्ट्रार, कानपुर पंजीकृत हुई। बकिया बचे 1/3 भाग का श्री गोविन्द राम शाह अकेले स्वामी, काबिज व दखील हैं।

यह भी विदित हो कि श्री गोविन्द राम शॉ का देहान्त दिनांक 31-12-2005 को हो गया। मृत्योपरान्त स्व० गोविन्द राम शॉ के राजन जायसवाल बहैसियत उत्तराधिकारी के पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति अर्थात् 1/3 भाग के स्वामी हुए तथा राजन जायसवाल (प्रथम पक्ष) ने अपने हिस्से सम्पत्ति उपरोक्त का दाखिल-खारिज सम्बन्धित विभागों में करा लिया है।

यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष व अन्य सह-स्वामीगण ने सम्पत्ति उपरोक्त में निर्माण कराकर कानपुर नगर-निगम में दाखिल-खारिज करा लिया जिसका प्रिमिसेज नं० 97, चन्द्र नगर, चंदारी, कानपुर नगर स्थापित हुआ। इस प्रकार सम्पत्ति उपरोक्त के 1/3 भाग क्षेत्रफल 3300 वर्गमीटर के प्रथम पक्ष स्वामी, काबिज व दखील है। अलावा प्रथम

Rajen Jaishwal.



Amle



पक्ष के दीगर कोई शख्स सम्पत्ति उपरोक्त का हकदार, हिस्सेदार, दावेदार, सहीम व शरीक नहीं है । सम्पत्ति उपरोक्त कहीं रहन, बय, हिबा, मुस्तगरक व जमानत जेरबार नहीं है, न ही किसी डिक्री या इजराय डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम है। गर्जे कि सम्पत्ति उपरोक्त हर किस्म के जुमला बार दयून से बरी पाक व साफ है। चूकि प्रथम पक्ष सम्पत्ति उपरोक्त में आवासीय फ्लैट का निर्माण कराना चाहता हैं परन्तु प्रथम पक्ष के पास श्रम शक्ति व अनुभव का अभाव होने के कारण निर्माण कराने में असमर्थ है, द्वितीय पक्ष जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ है और उन्हें आवासीय फ्लैट निर्माण का पूरा ज्ञान व अनुभव है, ने प्रथम पक्ष के समक्ष आवासीय फ्लैट निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के उक्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है और द्वितीय पक्ष के सहयोग से प्रथम पक्ष आवासीय फ्लैट का निर्माण कराना चाहता है किन्तु दोनों पक्षों ने मुनासिब समझा कि आवासीय फ्लैट निर्माण कराने के बाबत एक बिल्डर एग्रीमेन्ट बगर्ज सबूत के तहरीर कर लिया जाये ताकि कोई पक्ष अपनी जुबान से मुकर न सके। लिहाजा दोनों पक्षों के

Rajeev Jaiswal,



Amole



बीच आवासीय फ्लैट निर्माण कराने के वास्ते बाबत बिल्डर अनुबन्ध पत्र के निम्नलिखित शरायतें तय पाई गयीं: -

- (1) यह कि द्वितीय पक्ष भवन संख्या 97, चन्द्र नगर, कानपुर नगर स्थित आराजी फील्ड नम्बरी 1130मि0, 1131मि0, 1134मि0, 1136मि0, 1137मि0 क्षेत्रफल 9900 वर्गमीटर का 1/3 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 3300 वर्गमीटर पर मल्टीस्टोरी काम्पलेक्स, पार्किंग आदि का निर्माण करायेंगे, जिसके निर्माण का सारा व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा, प्रथम पक्ष का कोई भी पैसा नहीं लगेगा।
- (2) यह कि द्वितीय पक्ष सम्पत्ति उपरोक्त का नक्शा कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा स्वीकृत कराने में जो भी शुल्क जैसे विकास शुल्क (बेटरमेन्ट चार्जेज), डिवीजन चार्ज, निर्माण चार्ज आदि अनापत्ति पत्र लाने में जो भी व्यय होगा वह कुल का कुल खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
- (3) यह कि उपरोक्त मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण मय सम्पूर्ण

Rajeev Sainwal.



फिनिश के नक्शा स्वीकृत होने के पश्चात् अन्दर मियांद 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा यह अवधि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण खाली कब्जा मिलने की तारीख से आरम्भ होगी और यदि किसी कानूनी बाधा या दैवी आपदा के कारण निर्धारित समयवावधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से अवधि को बढ़ा भी सकते हैं।

- (4) यह कि सम्पत्ति उपरोक्त से सम्बन्धित नगर निगम, कानपुर, जल संस्थान, विद्युत विभाग व अन्य सरकारी विभाग के समस्त कर बिल्डर एग्रीमेन्ट की तिथि तक जमा करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
- (5) यह कि प्रथम पक्ष ने मुबलिग 1,05,60,000 / - रुपये निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय पक्ष से बतौर एडवान्स के रूप में प्राप्त कर लिया है जिसकी स्वीकृति प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध पत्र की रू से करता है, जो कि मल्टीस्टोरी काम्पलेक्स निर्मित होने के

Rajendra Jaiswal.



Amde



पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा अपने भाग में से प्रथम विक्रय के समय द्वितीय पक्ष को वापस करने का पाबन्द होगा तथा सम्पूर्ण मल्टीस्टोरी काम्पलेक्स निर्माण होने के उपरान्त दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से का आपसी विभाजन कर लेंगे तथा विभाजन के उपरान्त अपने-अपने हिस्से को अकेले-अकेले हस्तान्तरण एवं विक्रय करेंगे।

- (6) यह कि उपरोक्त सम्पत्ति पर मल्टीस्टोरी काम्पलेक्स निर्माण होने के पश्चात् प्रथम पक्ष का हिस्सा 40 प्रतिशत मय पार्किंग व मय कामन एरिया के होगा तथा द्वितीय पक्ष का हिस्सा 60 प्रतिशत मय पार्किंग व मय कामन एरिया के होगा।
- (7) यह कि यदि भवन उपरोक्त के नव निर्माण में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद के निस्तारण की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होगी और यदि स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई दोष पाया जाता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
- (8) यह कि उपरोक्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में यदि किसी

Rajeev Jaiswal.



Om



कागज या कागजातों की आवश्यकता द्वितीय पक्ष को होती है तो प्रथम पक्ष उक्त कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगे और प्रथम पक्ष के दस्तखतों की कहीं आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष दस्तखत करने का पाबन्द होगा।

- (9) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सम्पत्ति उपरोक्त का कब्जा द्वितीय पक्ष को देते समय सम्पत्ति उपरोक्त का मूल विक्रय प्रलेख द्वितीय पक्ष को प्रदान कर देंगे।
- (10) यह कि बिल्डिंग मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स निर्माण होने के पश्चात्, सम्पूर्ण काम्प्लेक्स में मय अनुपातिक भूमि मय पार्किंग व कामन एरिया में प्रथम पक्ष का 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।
- (11) यह कि उपरोक्त प्रस्तावित मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स सम्पूर्ण के निर्माण में लगे हुए कर्मचारियों, इंजीनियर, आर्किटेक्ट का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा, प्रथम पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।

Ranjana Jaiswal,



Chandra



- (12) यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुपालन में यदि दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार की कोई लिखा-पढ़ी इसके अतिरिक्त होती है तो वह इस अनुबन्ध पत्र का हिस्सा समझा जायेगा जिसकी पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसानों पर वाजिब व लाजिम होगी।
- (13) यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि सम्पत्ति उपरोक्त पूर्णतया: भार रहित है परन्तु इसके विपरीत कोई स्वामित्व दोष पाया जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को होने वाले समस्त नुकसान को मय हर्जे खर्चे के अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
- (14) यह कि मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स के निर्माण के पश्चात् दोनों पक्ष या उनके आवंटी, हस्तान्तरिती, क्रेतागण व उत्तराधिकारी आदि सम्पूर्ण काम्प्लेक्स को अच्छी हालत में रखेंगे और मेन्टीनेन्स में जो भी खर्चा आयेगा वह दोनों पक्ष व सभी लोग अपने-अपने अनुपात के अनुसार वहन करेंगे।

Rajan Jaiswal .



Amole



- (15) यह कि मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स के निर्माण होने के पश्चात् काम्प्लेक्स का नाम “जे०एस० एक्जाटिका” (J.S. Exotica) हो गा जिसको कोई भी पक्ष परिवर्तन नहीं कर सकता है ।
- (16) यह कि यदि मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स उपरोक्त के नव निर्माण में कोई दुर्घटना घटित होती है या के०डी०ए० द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, प्रथम पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
- (17) यह कि यदि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद या अन्य कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष द्वारा नियुक्त आरबीट्रेटर श्री मोहम्मद शाद खान, एडवोकेट, निवासी फ्लैट नं० 111, प्रिमिसेज नं० 15 / 47, इम्पायर इस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर द्वारा इसका निवारण किया जायेगा और आरबीट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

Rajesh Jaiswal.



Amal



विक्रय अनुबंध विलेख

53,000.000.00

10,000.00

50

10,050.00

2,500

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

प्रतिफल

मालियत

अग्रिम धनराशि

श्री

राजन जायसवाल

पुत्र श्री

गोविन्द राम शॉ

Rajen Jaiswal

व्यवसाय

निवासी स्थायी 97 चन्द्र नगर चन्दारी कानपुर नगर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 29/3/2014

समय 3:18PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 दुबे (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

कानपुर नगर

29/3/2014

निष्पादन लेखपत्र बाद मूना व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री राजन जायसवाल

पुत्र श्री गोविन्द राम शॉ

पेशा

निवासी 97 चन्द्र नगर चन्दारी कानपुर नगर

Rajen Jaiswal

श्री जे0 एस0 इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 द्वारा निदे0 मोहम्मद
जावेद सोलेजा

पुत्र श्री स्व0 जहीरुल हक सोलेजा

पेशा

निवासी 16/80-1 सिविल लाइन्स कानपुर नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नागेन्द्र सिंह

पुत्र श्री सुन्दर सिंह

पेशा

निवासी 323 एल0आई0जी0 ई ब्लॉक श्याम नगर कानपुर नगर

व श्री मो0 शाद खांन एड0

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी सिविल कोर्ट कानपुर नगर

ने की।

Brish

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

निष्पादक द्वारा पहचान के लिए वोटर कार्ड प्रदर्शित किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 दुबे (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

कानपुर नगर

29/3/2014

- (18) यह कि सम्पूर्ण मल्टीस्टोरी काम्प्लेक्स के निर्माण में प्रथम पक्ष कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा यदि कोई समस्या होती है तो प्रथम पक्ष आरबीट्रेटर से वार्ता करेगा।
- (19) यह कि इस बिल्डर एग्रीमेन्ट की शर्तें दोनों पक्षों व उनके विधिक उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नो एवं प्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू होगी तथा इस बिल्डर एग्रीमेन्ट को निरस्त करने का अधिकार किसी भी पक्ष को न होगा ।

लिहाजा दोनों पक्षों ने खूब सोच व समझकर बिना किसी नाजायज दबाव के यह बिल्डर एग्रीमेन्ट बगर्ज सबूत के रूबरू गवाहान के कतई व कामिल के तहरीर व तकमील कर दिये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे ।

विवरण एडवान्स धन मुबलिग 1,05,60,000 / - (एक करोड़ पाँच लाख साठ हजार रुपये)

मु 25,00,000 / - द्वारा चेक नम्बरी 116783 दि0 02-04-2014

मु 25,00,000 / - द्वारा चेक नम्बरी 116780 दि0 04-04-2014

Rajen Jaiswal .



Amole



विक्रेता

Registration No.: 1862

Year : 2,014

Book No. : 1

0101 राजन जायसवाल

गोविन्द राम शॉ

97 चन्द्र नगर चन्दारी कानपुर नगर



- मु 25,00,000 / - द्वारा चेक नम्बरी 116781 दि० 07-04-2014
मु 25,00,000 / - द्वारा चेक नम्बरी 116782 दि० 08-04-2014
मु 5,60,000 / - द्वारा चेक नम्बरी 116784 दि० 10-04-2014

सभी पाँचो चेक ऊपर एक्सिस बैंक लि०, कानपुर
प्रथम पक्ष ने बतौर एडवान्स के द्वितीय पक्ष से
प्राप्त कर लिया है।

गवाहान

1- ~~Blank~~

Hafendra Singh
SI. Shri Sunder Singh
M. 323 / 2.1.G. Block 'E' Shyam
Nagar Kanpur

2-

Mohd Shad Khan
(Advocate)



Rujar Swami
भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष



बिल्टर / द्वितीय पक्ष

DRAFTED BY ME AND PRINTED
IN MY OFFICE

Farooq Khan
Adv.

(FAROOQ KHAN)
ADVOCATE
COURT, KANPUR.

क्रेता

Registration No. : 1862

Year : 2,014

Book No. : 1




0201 जे0 एस0 इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 द्वारा निदे0 मोहम्मद जावेद सोलेजा
स्व0 जहीरुल हक सोलेजा
16/80-1 सिविल लाइन्स कानपुर नगर



SITE PLAN OF PREMISES NO- 97 , CHANDRA NAGAR OVER
FIELD NO. 1130 MIN. , 1131 MIN. , 1134 MIN. 1136MIN. 1137MIN.
CHANDARI , DISTT.- KANPUR NAGAR

TOTAL LAND AREA :- 9900 SQ. MTR.

BUILDER AGREEMENT LAND AREA :- 3300 SQ. MTR.




Rajendra Singh
SIGN. OF FIRST PARTY

Anil Kumar
ANIL KUMAR
CIVIL ENGINEER
REGD. K.D.A.
44, KAILASH NAGAR
JAJMAU, KANPUR

Anil Kumar

SIGN. OF SECOND PARTY

आज दिनांक 29/03/2014 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6722

पृष्ठ सं. 59 से 92 पर क्रमांक 1862

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



एस0 के0 दुबे (प्रभारी)

उप निबन्धक (प्रथम)

कानपुर नगर

29/3/2014